झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा — पंचदश (बजट) सत्र

संख्या-10 — सोमवार, दिनांक-04 फरवरी, 2019 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.35 बजे अप० तक ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रश्नकालः-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-05

(क) उत्तरित कुल-04, अ० सू०-107 श्रीमती गीता कोड़ा, स० वि० स०,

(इस अवसर पर सदन के बाहर धरने पर बैठे माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो एवं श्री जय प्रकाश भाई पटेल को सदन के अन्दर ससम्मान लाये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा आसन से आग्रह किया गया तदुपरांत आसन के निदेश से माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव तथा श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा उन्हें सदन के अन्दर लाया गया)

अ० सू०-108 श्री सुखदेव भगत, स० वि० स०,
अ० सू०-109 श्री बिरंची नारायण, स० वि० स० एवं
अ० सू०-110 श्री प्रदीप यादव, स० वि० स०।

(ख) अनागत मात्र-01, अ० सू०-111 श्री योगेश्वर महतो, स० वि० स०।

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-16

(क) उत्तरित कुल-04, तारां०-467 श्रीमती सीमा देवी, स० वि० स०,
तारां०-468 श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, स० वि० स०,
तारां०-469 श्री दीपक बिरूवा, स० वि० स० एवं
तारां०-470 श्री जय प्रकाश वर्मा, स० वि० स०।

(ख)अनागत कुल-12, तारां०-471 से तारां०-482 तक।

2.मुख्यमंत्री प्रश्नकालः-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-52 के तहत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गये जिनका उत्तर उन्हें दिया गया-

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय
01	श्रीमती सीमा देवी	निजी कंपनियों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करना।
02	श्री जगरनाथ महतो	प्रखण्ड मुख्यालयों में माननीय सदस्यों के लिए कार्यालय भवन उपलब्ध कराना।
03	श्री शिवशंकर उरांव	झारखण्ड-छत्तीसगढ़ सीमा पर विश्वविद्यालय खोलना।

क्र०पृ०उ०

04	श्री रबीन्द्रनाथ महतो	अगली जी-टेट की परीक्षा आयोजित करना।
05	श्री राज सिन्हा	मेडिकल कॉलेजों में न्यूरो फिजिशियन की प्रतिनियुक्ति करना।
06	श्री अमित कुमार मण्डल	गोड्डा जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाना।
07	श्री भानू प्रताप शाही	पुलिस कर्मियों को 13 माह का वेतन देना।
08	श्री राधा कृष्ण किशोर	खास महाल की जमीनों को **Free hold** करना।
09	श्री बिरंची नारायण	पारिवारिक सम्पत्तियों के विवाद निबटारा हेतु शुल्क कम करना।
10	श्री अशोक कुमार	ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक विद्युत विपत्र को कम करते हुए नये मीटर में कनेक्शन करना।
11	श्री अनन्त कुमार ओझा	उत्तीर्ण उम्मीदवारों को शिक्षक नियुक्ति पैनल में दर्ज करना।
12	श्री अरुप चटर्जी	विधायक निधि में बिजली आदि के लिए निधारित राशि को दूसरे मद में स्थानान्तरित करना।
13	श्री दीपक बिरूवा	न्याय पंच का गठन करना।
14	श्री कुणाल षडंगी	बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय की स्थापना करना।
15	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	वन क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करना।
16	श्री प्रकाश राम	जमीन सर्वे की त्रुटियों को दूर करने हेतु मिनी सर्वे कराना।
17	श्री आलमगीर आलम	कृषक मित्रों का सम्मानजनक मानदेय बढ़ाना।
18	श्री सुखदेव भगत	सरना धर्म कोर्ड हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेजना।
19	श्री ताला मराण्डी	जनजातीय विकास हेतु कानून बनाना।

3.शून्यकाल:-

आज के लिए प्राप्त सम्पूर्ण शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर के लिए सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से निदेश दिया गया।

4.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- श्री पौलुस सुरीन एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- श्री प्रकाश राम एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- श्री योगेश्वर महतो, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv- श्री राज कुमार यादव एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

क्र० पृ०उ०

5.सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

आसन से पुकारे जाने पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(1) के अधीन झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची से प्राप्त वर्ष-2014-15 एवं 2016 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

6.सूचना का दिया जाना:-

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा आसन के माध्यम से सदन को संसूचित करते हुए आग्रह किया गया कि आज दिनांक-04.02.2019 को 07.30 बजे संध्याकाल में सर्जिकल स्ट्राईक से सम्बन्धित फिल्म का प्रदर्शन न्यूक्लियस मॉल, राँची में होगा जिसमें सभी माननीय सदस्य सादर आमंत्रित है।

7.वित्तीय कार्य:-

पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(05) राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग), राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग), उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, खनन एवं भू-तत्त्व विभाग, उद्योग विभाग, पेंशन, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यकर विभाग सभा में प्रस्तुत किया गया जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8.वित्तीय कार्य(क्रमांक-07 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में सम्मिलित अनुदान की माँगों पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गयी।

(पदाधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की पर्याप्त उपस्थिति नहीं रहने पर आसन द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी।)

इस अवसर पर माननीया सभापति, श्रीमती गीता कोड़ा ने आसन ग्रहण किया।

इसके उपरांत चर्चा में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया-

श्री जीतू चरण राम,
श्री दीपक बिरूवा,
श्री राम कुमार पाहन,
श्री आलमगीर आलम,
श्री राज सिन्हा,
श्री राज कुमार यादव,

(इस अवसर पर सभा की सहमति से सरकारी उत्तर पर्यन्त सदन का समय विस्तारित किया गया।)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर एवं
श्री जगरनाथ महतो।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

कृ०पृ०उ०

<u>9.आसन से सूचना:-</u>

दिनांक-05.02.2019 को पूर्व से निर्धारित मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में माननीय सदस्यों को उपस्थित रहने हेतु आसन द्वारा सदन को स्मारित कराया गया।

<u>10.वित्तीय कार्य(क्रमांक-08 से जारी):-</u>

अन्तराल के पश्चात् प्रारम्भ हुई चर्चा पर विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा अपना-अपना विचार रखे जाने के उपरांत माननीय विभागीय मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी ने सरकार की ओर से उत्तर दिया तत्पश्चात् उपर्युक्त माँगें ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुई और माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव के कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(इस क्रम में विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

इसके बाद सभा की कार्यवाही **<u>मंगलवार, दिनांक-05 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न</u>** तक के लिए स्थगित की गयी ।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 05 फरवरी, 2019 ई०।